संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./जसुयो/07/15 भोपाल दिनांक 05.02.07

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

विषयः– जननी सुरक्षा योजना के समन्वित दिशानिर्देश।
संदर्भः– विभाग का पत्र क्र. ज.सु.यो./2006/डी.एच.एस./500 दिनांक 07.08.06।

भारत सरकार द्वारा हाल ही में जननी सुरक्षा योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि सर्वसंबंधित को पुनः एक बार योजना के पुनरीक्षित प्रावधानों से अवगत कराया जाये। योजना के नवीन दिशानिर्देश निम्नानुसार है जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगेः–

1. उद्देश्यः–

जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, जिसमें संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित कर गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ–मृत्यु तथा नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित यह योजना मध्यप्रदेश में 15 अगस्त 2005 से लागू की गई है।

2. आशा की भूमिकाः–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा कार्यकर्ता की पहचान एक ऐसी कड़ी के रूप में की गई है, जो शासकीय तंत्र तथा गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच समन्वय स्थापित कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करा सके। जिन ग्रामों मे आशा का चयन नही हुआ है उनमे आशा का चयन होने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसके कर्तव्यो का निर्वहन करेगी। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी कारण से ऐसा नही करती है तो सेक्टर मेडिकल आफिसर द्वारा ऐसे कार्यकर्ता का चिन्हांकन किया जायेगा जो यह कार्य कर सके – यह कार्यकर्ता महिला जन स्वास्थ्य रक्षक अथवा प्रशिक्षित दाई भी हो सकती है परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह आशा के समस्त उत्तरदायित्वो का निर्वहन करे। योजनान्तर्गत आशा के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैः–

i. योजना के हितग्राही के रूप में गर्भवती महिला की पहचान तथा गर्भ पंजीयन हेतु उसकी सहायता करना

ii. आवश्यकता अनुसार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में गर्भवती महिला की सहायता करना

iii. गर्भावस्था के दौरान तीन प्रसव पूर्व जॉच हेतु गर्भवती महिला को सेवायें उपलब्ध कराना अथवा ऐसी सेवाओं तक उसकी पहुॅच सुनिश्चित करना।

iv. ऐसे शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थान की पहचान करना जहॉ गर्भवती महिला को प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर रेफर किया जा सके।

v. संस्थागत प्रसव कराने हेतु गर्भवती महिला को परामर्श देना

vi. पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य केन्द्र तक हितग्राही महिला का लेकर जाना तथा अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक महिला के साथ अस्पताल में रहना।

vii. जन्म के 14 सप्ताह के भीतर नवजात शिशु के टीकाकरण की व्यवस्था करना।

viii. शिशु जन्म अथवा मृत्यु की सूचना ए.एन.एम./चिकित्सा अधिकारी को देना।

ix. प्रसव के 07 दिवस के भीतर माता को प्रसव पश्चात् जॉच हेतु स्वास्थ्य केन्द्र ले जाना अथवा प्रसव पश्चात् जॉच हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।

x. प्रसव के 01 घण्टे के भीतर नवजात शिशु को स्तनपान प्रारंभ कराने हेतु माता को परामर्श देना तथा परिवार नियोजन के प्रभावी साधन के रूप में 3–6 माह तक स्तनपान जारी रखने हेतु माता को प्रोत्साहित करना।

3. प्रत्येक गर्भवती को सेवाओं की उपलब्धताः–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक हितग्राही गर्भवती महिला को जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/अन्य समतुल्य कार्यकर्ता का यह दायित्व होगा की वह एएन.एम. के परिवेक्षण में प्रत्येक गर्भवती महिला के लिये अनिवार्यतः प्रसव की सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार करे। इस कार्ययोजना में निम्नलिखित जानकारी अनिवार्यतः संधारित की जायेगीः–

(क) प्रसव पूर्व तीन जॉच तथा टेटनस टॉक्साइड टीकाकरण की दिनॉक तथा स्थान।
(ख) रेफरल हेतु स्वास्थ्य केन्द्र का नाम।
(ग) प्रसव हेतु संस्था का नाम।
(घ) प्रसव की सम्भावित तिथि।

इसके अतिरिक्त इस सूक्ष्म कार्ययोजना में आवश्यक प्रमाण–पत्र एकत्र करने, जच्चा–बच्चा रक्षा कॉर्ड जमा करने, परिवहन हेतु साधन की उपलब्धता तथा आवश्यक धन की उपलब्धता के संबंध में जानकारी भी होना आवश्यक है।

4. पात्रताः–

भारत सरकार के पुनरीक्षित दिशानिर्देशानुसार जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव कराने पर आर्थिक लाभ हेतु निम्नानुसार गर्भवती महिलायें पात्र होंगीः–

(1) शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल में प्रसव कराने वाली कोई भी महिला (चाहे वह किसी भी जाति या किसी भी आर्थिक स्तर की हो) ।

(2) जिला चिकित्सालय, शासकीय महिला चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेजों या अन्य शासकीय चिकित्सालयों में प्रसव कराने वाली कोई भी महिला (चाहे वह किसी भी जाति या किसी भी आर्थिक स्तर की हो) जो कि जनरल वार्ड में भरती होती हैं।

(3) मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने वाली सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोई भी महिला (चाहे उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो)। मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थान में योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की गर्भवती महिला को बी.पी.एल. का प्रमाण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिला को जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही संबंधित संस्था हेतु मान्य रेफरल स्लिप भी प्रस्तुत करना होगी, जो आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. अथवा चिकित्सक द्वारा जारी की गई हो।

5. गर्भवती महिला को आर्थिक सहायताः–

जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत उपरोक्त अनुसार शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला को रूपये 1400/– तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला को रूपये 1000/– की आर्थिक सहायता की पात्रता होगी। ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र का निर्धारण सामान्य रूप से महिला के निवास स्थान के आधार पर किया जायेगा।

6 प्रेरक को आर्थिक सहायताः–

गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव हेतु लेकर आने वाली प्रेरक (आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/अन्य समतुल्य कार्यकर्ता) को ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली गर्भवती महिला के लिये रूपये 600/– तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली गर्भवती महिला के लिये रूपये 200/– की आर्थिक सहायता दी जायेगी। रूपये 600/– की आर्थिक सहायता के अन्तर्गत रूपये 250/– परिवहन व्यय हेतु, रूपये 200/– प्रोत्साहन राशि तथा रूपये 150/– अन्य व्यय हेतु होंगे। शहरी क्षेत्र की हितग्राही के प्रकरण में आशा को मात्र प्रोत्साहन राशि ही दी जायेगी।

जिन प्रकरणों में हितग्राही द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्था में प्रसव कराया जायेगा, उन प्रकरणों में प्रेरक को आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं हैं।

7. आर्थिक सहायता का वितरणः–

	शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने पर		मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रसव कराने पर	
गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता	ग्रामीण क्षेत्र में रू. 1400 अस्पताल में भर्ती के समय	शहरी क्षेत्र में रू. 1000 अस्पताल में भर्ती के समय	ग्रामीण क्षेत्र में रू. 350 तृतीय प्रसव पूर्व जॉच के पहले तथा रू. 1050 अस्पताल में भर्ती के समय	शहरी क्षेत्र में रू 250 तृतीय प्रसव पूर्व जॉच के पहले तथा रू 750 अस्पताल में भर्ती के समय
परिवहन व्यय	ग्रामीण क्षेत्र में रू. 250 अस्पताल में भर्ती के समय (जननी एक्सप्रैस के हितग्राही को देय नहीं)	शहारी क्षेत्र में निरंक	निरंक	
प्रेरक को अर्थिक सहायता	ग्रामीण क्षेत्र की हितग्राही के लिए रू 150 अस्पताल में भर्ती के समय तथा रू. 200 प्रसव के एक सप्ताह पश्चात प्रथम प्रसवोत्तर जॉच के समय	शहरी क्षेत्र की हितग्राही के लिए रू. 200 प्रसव के एक सप्ताह पश्चात प्रथम प्रसवोत्तर जॉच के समय	निरंक	

7.1 हितग्राही गर्भवती महिला को आर्थिक सहायताः— योजनान्तर्गत शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने वाली हितग्राही गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता की सम्पूर्ण राशि अस्पताल में भर्ती होने के समय दी जायेगी। जो महिलायें मान्यता प्राप्त निजी संस्था में प्रसव कराना चाहती है, उन्हें 25 प्रतिशत राशि (ग्रामीण क्षेत्र के लिये रूपये 350/— तथा शहरी क्षेत्र के लिये रूपये 250/—) तृतीय प्रसव पूर्व जॉच से पहले दी जायेगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के समय दी जायेगी। मान्यता प्राप्त निजी संस्था में प्रसव कराने वाली हितग्राही को भुगतान आशा/ए.एन.एम. के द्वारा किया जायेगा। संस्था को इस हेतु कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा।

7.2 प्रेरक को आर्थिक सहायताः— आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा समतुल्य कार्यकर्ता को प्रेरक के आर्थिक सहायता पैकेज में उपरोक्तानुसार तीन व्यय हेतु भुगतान किया जाता है । परिवहन व्यय (रूपये 250/—) का अग्रिम भुगतान प्रेरक को संबंधित एएन.एम. द्वारा किया जा सकता है, इस अग्रिम राशि को आर्थिक सहायता प्राप्त होने के पश्चात् प्रेरक द्वारा वापस लौटा दिया जायेगा। आशा को ग्रामीण क्षेत्र की हितग्राही हेतु रूपये 600/— की राशि देय होगी इसमें से प्रथम किश्त रूपये 400/— महिला के प्रसव हेतु भर्ती होने के समय तथा द्वितीय किश्त रूपये 200/— प्रसव के एक सप्ताह पश्चात् (महिला की प्रथम प्रसव पश्चात् जॉच तथा शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण होने पर) भुगतान की जायेगी। शहरी क्षेत्र की हितग्राही हेतु मात्र एक किश्त रूपये 200/— (महिला की प्रथम प्रसवोत्तर जॉच तथा शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण होने पर) भुगतान की जायेगी।

7.3 परिवहन व्यय की राशिः— आशा के पैकेज में सम्मिलित रूपये 250/— परिवहन व्यय की राशि का भुगतान प्रेरक को प्रथम किश्त में सम्मिलित कर किया जायेगा। प्रेरक को यह राशि तभी दी जायेगी यदि परिवहन की व्यवस्था प्रेरक द्वारा की गई हो। यदि परिवहन की व्यवस्था हितग्राही द्वारा की गई हो तो यह राशि प्रेरक के पैकेज से कम कर हितग्राही को भुगतान की जायेगी। यदि जननी एक्सप्रेस योजनान्तर्गत परिवहन उपलब्ध कराया गया हो, तो परिवहन व्यय का भुगतान न कर संबंधित खाते में यह राशि जमा की जायेगी।

7.4 जिला अस्पताल/शासकीय महिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज में भुगतान व्यवस्थाः— प्रत्येक जिला अस्पताल/शासकीय महिला चिकित्सालय/शासकीय मेडिकल कॉलेज को वर्ष में होने वाले प्रसव प्रकरणों मे जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत भुगतान रोगी कल्याण समिति के जननी सुरक्षा योजना खाते से किया जायेगा।

ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र की हितग्राही का निर्धारण उसके सामान्य रूप से निवास करने के स्थान के आधार पर किया जायेगा। हितग्राही द्वारा प्रस्तुत रेफरल स्लिप को इसके प्रमाण के रूप में मान्यता होगी।

7.5 मायके में प्रसव कराने वाली हितग्राहियों को भुगतानः– जो महिलायें अपने मायके में प्रसव कराने हेतु आती है उन्हें उनके सामान्य रूप से निवास के स्थान के आधार पर ही लाभ दिया जायेगा। यह लाभ उन्हें अपने सामान्य निवास स्थान की कार्यकर्ता से प्राप्त रेफरल स्लिप प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा। यदि महिला गर्भावस्था के समय के दौरान मायके में आ जाती है तो आने से पूर्व उसे रेफरल स्लिप प्राप्त कर लेना चाहिये। ऐसा न होने की स्थिति में मायके के स्थान की कार्यकर्ता से प्राप्त रेफरल स्लिप के आधार पर भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

8. आशा का पैकेज :– योजनान्तर्गत आशा को प्राप्त होने वाले लाभ में निम्नानुसार तीन भाग होंगे :–

1. परिवहन व्यय – हितग्राही महिला के निवास स्थान से निकटतम शासकीय अस्पताल तक परिवहन हेतु यह राशि उपलब्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह राशि रू. 250/– होगी। शहरी क्षेत्र की हितग्राही के लिए परिवहन व्यय नही दिया जायेगा।

2. आशा को प्रोत्साहन राशि – ग्रामीण क्षेत्र में आशा को मिलने वाले पैकेज में रू. 200/– की प्रोत्साहन राशि सम्मलित होगी। शहरी क्षेत्र में आशा को मात्र प्रोत्साहन राशि (रू. 200/–) ही प्राप्त होगी।

3. अन्य व्यय – ग्रामीण क्षेत्र में आशा को प्राप्त होने वाले पैकेज में परिवहन व्यय तथा प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त रू. 150/– अन्य व्यय के लिए उपलब्ध होंगे, यह मुख्यतया अस्पताल में रहने के समय आशा के रहने–खाने पर व्यय होगा।

9. आशा को भुगतान :– आशा को उपरोक्त राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम किश्त रू. 400/– (यदि परिवहन पर आशा द्वारा व्यय किया गया है तो) अथवा रू. 150/– (यदि आशा द्वारा परिवहन पर व्यय नही किया गया है तो)। द्वितीय किश्त रू. 200/– हितग्राही महिला की प्रथम प्रसव पश्चात जॉच तथा शिशु को बीसीजी टीकाकरण के समय – यह राशि आशा की प्रोत्साहन राशि होगी तथा प्रसव के 7 दिवस के अंदर इसका भुगतान हो जाना चाहिए।

2. शहरी क्षेत्र में मात्र एक किश्त रू 200/– दी जायेगी तथा यह राशि हितग्राही महिला की प्रथम प्रसव पश्चात जॉच तथा शिशु को बीसीजी टीकाकरण के समय दी जायेगी।

10. रेफरल स्लिप की व्यवस्था :–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रेफरल की व्यवस्था को सुदृढ करने के उददेश्य से रेफरल स्लिप की व्यवस्था लागू की जा रही है। यह रेफरल स्लिप आशा / एएनएम द्वारा प्रसव की सूक्ष्म कार्ययोजना अनुसार चिन्हांकित संस्था के लिए दी जायेगी। रेफरल स्लिप सामान्य गर्भावस्था के प्रकरणों मे प्रसव पूर्व तीसरी जॉच के समय दी जायेगी। जटिल प्रकरणों मे जटिलता की पहचान होते ही रेफरल स्लिप हितग्राही को दी जायेगी, यह स्लिप उस केन्द्र के लिए होगी जिसे रेफरल के लिए चिन्हांकित किया गया है। यदि किसी हितग्राही को रेफरल स्लिप नही दी गई है तथा उसे अस्पताल जाने की आवश्यकता हो तो वह आशा से स्लिप प्राप्त कर सकती है। जो महिलाएॅ शासकीय चिकित्सालय में प्रसव पूर्व जॉच कराऐगी उन्हे रेफरल स्लिप चिकित्सक द्वारा दी जायेगी। जिन प्रकरणों मे हितग्राही रेफरल स्लिप प्रस्तुत करेंगी उनमे जॉच तथा भर्ती हेतु वरीयता दी जायेगी। इसका यह अर्थ कदापि नही होगा कि रेफरल स्लिप के अभाव मे किसी महिला को उपचार से वंचित किया जाये। यदि रेफरल स्लिप गुम जाती है तो दूसरी जारी की जायें।

मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्था मे प्रसव कराने वाली हितग्राहियो को रेफरल स्लिप आशा / एएनएम द्वारा दी जायेगी। निजी संस्थाओं में योजना के लाभ के लिए रेफरल स्लिप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. सीजेरियन सेक्शन तथा जटिल प्रकरणों का प्रबंधन :–

जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सिविल अस्पतालों में जटिल प्रकरणों के प्रबंधन हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध है परन्तु विशेषज्ञ की पदस्थापना न होने के कारण वहॉ सीजेरियन आपरेशन अथवा जटिलताओं का प्रबंध नहीं हो पाता है ऐसे सभी केन्द्रों में शासकीय अथवा निजी विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु उन्हे मानदेय दिया जा सकता है। यह मानदेय निकटवर्ती शासकीय स्वास्थ्य संस्था में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा निश्चेतना विशेषज्ञ (विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी अथवा पीजीएमओ) को दिया जा सकेगा। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का चिन्हांकन कर निकटवर्ती केन्द्र के विशेषज्ञों का पेनल तैयार करेंगे तथा आवश्यकतानुसार उनकी सेवायें उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य हेतु निजी विशेषज्ञों से भी सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्राप्त की जा सकती है तथा उनकी सेवायें उपलब्ध कराई जा सकती है। पेनल में रखे गये विशेषज्ञों की सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायें।

स्त्री रोग विशेषज्ञ को रू. 1500/– तथा निश्चेतना विशेषज्ञ को रू. 1000/– का मानदेय दिया जायेगा।

12. घर पर होने वाले प्रसव प्रकरणों में आर्थिक सहायता :–

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ऐसी गर्भवती महिलाऐं जो 19 वर्ष से अधिक आयु की है तथा जो घर पर ही प्रसव कराना चाहती है उन्हे जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रू. 500/– की आर्थिक सहायता की पात्रता है। यह राशि उन्हें प्रसव के दिन अथवा प्रसव की संभावित तिथी के एक सप्ताह पूर्व आशा अथवा समतुल्य कार्यकर्ता के माध्यम से एएनएम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। यह राशि महिला को अधिकतम दो जीवित जन्मों तक ही देय होगी।

यह सहायता प्राप्त करने के लिए महिला के पास जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड होना आवश्यक है तथा उसे बीपीएल का अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण से सत्यापित करने के बाद एएनएम उसके जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड पर पात्रता अंकित करेगी।

13. नसबंदी कराने पर क्षतिपूर्ति :–

यदि हितग्राही महिला या उसका पति प्रसव के पश्चात परिवार नियोजन हेतु नसबंदी अपनाते है तो उन्हें नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

14. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्था में जननी सुरक्षा योजना का लाभ :–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ऐसी सभी निजी चिकित्सा संस्थाओं में लाभ प्राप्त होगा जिन्हें जननी सहयोगी योजना के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जननी सहयोगी योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड में निजी संस्थाओं को मान्यता दी जायें। मान्यता प्राप्त निजी संस्था में प्रसव कराने पर हितग्राही महिला को उपरोक्त कंडिका 4 (3) के अनुसार लाभ की पात्रता होगी परन्तु ऐसे प्रकरणों में प्रेरक को कोई आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। निर्धारित आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि हितग्राही को देय नही होगी तथा निजी संस्था में प्रसव कराने पर होने वाला व्यय उसे स्वयं वहन करना होगा।

मान्यता प्राप्त निजी संस्थान जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के पूर्व हितग्राही की प्रात्रता सुनिश्चित करेंगे तथा रेफरल स्लिप प्राप्त कर उसे सुरक्षित रखेंगे। ऐसे सभी संस्थान प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में जननी सुरक्षा योजना का प्रतिवेदन तथा रेफरल स्लिप, इस कार्य हेतु नियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारी को उपलब्ध करायेंगे।

15. उप स्वास्थ्य केन्द्रों मे सामान्य प्रसव कराने पर लाभ :–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कराये गये सामान्य प्रसव पर लाभ प्राप्त हो सकेगा जिन्हें इस हेतु मान्यता प्रदान की गई है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने का कार्य संचालनालय के निर्देशानुसार जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों को नियमानुसार मान्यता नहीं दी गई है उनमें कराये गये प्रसव पर लाभ की पात्रता नहीं होगी।

16. अन्य शासकीय अस्पतालों में लाभ :–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के शासकीय अस्पतालों के अतिरिक्त प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्र जसु/प्र.परि./2006/339 दिनांक 04.05.06 के निर्देशानुसार प्रदेश में स्थित अन्य विभागों / उपक्रमों तथा भारत सरकार के विभागों / उपक्रमों के सभी शासकीय अस्पतालों में भी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। इन संस्थाओं में लाभ प्रदान करने हेतु सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शासन के ज्ञापन क्र जसु/प्र.परि./2006/341 दिनांक 04.05.06 के निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।

17. प्रशासकीय व्यय हेतु प्रावधान :–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यय हेतु 4 प्रतिशत राशि का प्रावधान है। यह राशि योजनान्तर्गत हितग्राहियों, प्रेरक तथा विशेषज्ञों पर विगत माह की अंतिम तिथि तक किये गये कुल व्यय के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित मदो / गतिविधियों पर प्रशासकीय मद से व्यय किया जा सकता है :–

1. मेडीकल कालेजों, जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी सुरक्षा योजना, विजयाराजे जननी कल्याण बीमा योजना, प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना, जननी एक्सप्रैस, जननी सहयोगी योजना आदि से संबंधित अभिलेखों के संधारण हेतु स्टेशनरी का क्रय। इसमें कम्प्यूटर स्टेशनरी भी सम्मिलित होगी।

2. सीमॉक / बीमॉक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं में जहॉ प्रसव की सुविधा उपलब्ध है वहॉ प्रसूति वार्ड की सफाई व्यवस्था हेतु प्रतिमाह अधिकतम रू. 2000/– की राशि। सीमॉक / बीमॉक संस्थाओं मे आरसीएच–2 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही राशि के अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन पर इस मद से राशि उपलब्ध कराई जा सकती है।
3. जिला चिकित्सालयों के प्रसूति वार्ड में टेलीफोन कनेक्शन तथा प्रतिमाह रू. 250/– के मान से मासिक बिल भुगतान हेतु अंशदान।
4. प्रसूति कक्ष में उपयोग होने वाली सामग्री यथा ग्लवस, साबुन आदि का स्थानीय स्तर पर क्रय।
5. चिकित्सालय परिसर तथा प्रसूति वार्ड में फ्लेक्स शीट पर जननी सुरक्षा योजना आदि की जानकारी प्रदर्शित करना।
6. सभी शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में योजनाओं की अद्यतन जानकारी की वाल पेन्टिंग कराना।

इस मद में सभी जिला चिकित्सालयों, 100 बिस्तर या अधिक क्षमता वाले सिविल अस्पतालों, सभी मेडिकल कालेजों तथा संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं के कार्यालयों में जननी सुरक्षा योजना के अभिलेखो का संधारण व प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक–एक कम्प्यूटर आपरेटर की संविदा नियुक्ति के निर्देश पत्र दिनांक 31.08.06 द्वारा प्रसारित किये जा चुके है। कम्प्यूटर आपरेटरों का वेतन आहरण भी जननी सुरक्षा योजना के प्रशासकीय मद से किया जायेगा।

18. अनिवार्य रणनीति :–

प्रदेश में विगत एक वर्ष में जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन द्वारा संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस क्रम को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के अधिकाधिक स्वास्थ्य संस्थानों में 24 घण्टे प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराकर और अधिक संख्या में महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधाऐं उपलब्ध कराई जायें। इस उददेश्य को प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक है :–

1. प्रत्येक ग्राम तथा शहरी वार्ड के लिए एक ऐसी स्वास्थ्य संस्था का चिन्हांकन जहॉ संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो तथा योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

2. आशा अथवा समतुल्य कार्यकर्ता को उपरोक्त स्वास्थ्य संस्था से सम्बद्ध करना तथा यह सुनिश्चित करना कि आशा अपने क्षेत्र के हितग्राहियों को उक्त संस्था हेतु रेफर करेगी।

3. यह सुनिश्चित करना कि आशा सभी गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की माताओं से निरन्तर सम्पर्क में रहेगी तथा आवश्यकतानुसार उन्हें सेवाऐ उपलब्ध कराएगी। आशा यह सुनिश्चित करेगी कि माताओं को प्रसव पूर्व जॉच तथा शिशुओं को टीकाकरण की सुविधाऍ यदि स्वास्थ्य केन्द्र पर प्राप्त नहीं होती है तो यह सुविधाऍ उन्हें मासिक स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस पर ग्राम के आंगनबाडी केन्द्र अथवा उप स्वास्थ्य केन्द्र में प्राप्त हो सके।

4. प्रत्येक गर्भवती माता के लिए प्रसव की सुक्ष्म कार्ययोजना तैयार की जाये।

5. प्रत्येक गर्भवती माता को 03 प्रसव पूर्व जॉच की सेवाऍ उपलब्ध कराई जायें। यह सेवाऍ प्रसव की सूक्ष्म कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित दिनांक तथा स्थान पर ही उपलब्ध कराई जाए। हितग्राही को इसकी पूर्व सूचना अनिवार्यतः दी जायें।

6. एक ऐसी स्वास्थ्य संस्था का चिन्हांकन किया जाये जहॉ आवश्यकता पडने पर गर्भवती माता को रेफर किया जा सके। माता को इसकी सूचना पंजीयन अथवा प्रथम प्रसव पूर्व जॉच के समय दी जायें।

7. एएनएम तथा आशा के पास पर्याप्त मात्रा में धन राशि उपलब्ध रहे।

8. आशा यह सुनिश्चित करे कि आवश्यकता पडने पर निर्धारित स्वास्थ्य संस्था तक ले जाने हेतु हितग्राही को परिवहन सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

9. आशा / एएनएम द्वारा प्रत्येक हितग्राही के घर पर चिन्हांकन किया जाये तथा प्रत्येक हितग्राही के अभिलेखो यथा जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड, प्रसव की सूक्ष्म कार्ययोजना, गर्भवती पंजीयन, टीकाकरण पंजी आदि को सुरक्षित रखा जाये।

10. आशा यह सुनिश्चित करेगी कि हितग्राही को देय राशि नियमानुसार प्राप्त हो सके तथा वह अनिवार्यतः हितग्राही को लेकर निर्धारित स्वास्थ्य संस्था तक जायेगी।

19. प्रचार प्रसार रणनीति :–

जिलो मे आयोजित होने वाले समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा आयोजनो में जननी सुरक्षा योजना को एक सम्पूर्ण पैकेज के रूप मे प्रचारित किया जाये। आवश्यकता होने पर महिलाओं, पंचायती राज संस्थाओं, सामुदायिक नेताओं की कार्यशाला आयोजित कर यह संदेश प्रसारित किया जा सकता है। प्रचार प्रसार हेतु मुद्रित सामग्री तथा दृश्य – श्रव्य साधनो का उपयोग किया जाये। इस पर होने वाला व्यय उपरोक्त कंडिका 17 के प्रावधान अनुसार योजना के प्रशासकीय मद मे किया जा सकता हैं।

20. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :–

प्रत्येक जिले में जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अन्तर्गत जन साधारण तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतो के निवारण हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाये तथा इस प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामांकित किया जाये। प्रभारी अधिकारी के नाम, पते तथा टेलीफोन नं. की जानकारी ऐसे सभी केन्द्रों तथा संस्थाओं में प्रदर्शित की जाये जिनमे जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाता है। आवश्यक होने पर इस कार्य हेतु प्रशासकीय मद से व्यय किया जा सकता है।

21. हितग्राहियों के नाम का प्रदर्शन :–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों, प्रसव का दिनांक तथा दी गई राशि का विवरण प्रत्येक शासकीय अस्पताल मे एक सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाये। जिस अस्पताल मे हितग्राही को लाभान्वित किया गया है उसकी सूचना पटल पर विवरण प्रदर्शित किया जायेगा। यह विवरण प्रतिमाह अद्यतन किया जाये। आवश्यकतानुसार सूचना पटल प्रशासकीय मद से क्रय किये जा सकते है।

22. नगरीय क्षेत्र हेतु विशेष रणनीति :–

नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड की गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जॉच तथा शिशुओं को टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्धारित स्थान पर प्रतिमाह यह सुविधा उपलब्ध कराई जाये। अभिलेखों का संधारण वार्ड की प्रभारी एएनएम द्वारा आंगन बाडी कार्यकर्ता / पूरक पोषाहार वितरण केन्द्र की कार्यकर्ता / अन्य स्वैच्छिक कार्यकर्ता के सहयोग से किया जा सकता है। इन सभी हितग्राहियों को चिन्हांकित संस्था हेतु रेफरल स्लिप एएनएम द्वारा दी जायेगी। जो गर्भवती महिलाएँ शासकीय चिकित्सालय में प्रसव पूर्व जॉच कराएगी उन्हे चिकित्सक द्वारा रेफरल स्लिप दी जायेगी।

23. अनुश्रवण :–

23.1 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मासिक बैठक :– जननी सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र पर आशा / समतुल्य कार्यकर्ताओं की एक बैठक एएनएम द्वारा आयोजित की जाये। यह बैठक उप स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय तथा क्षेत्र में स्थित अन्य सुविधाजनक ग्रामों के आंगनबाडी केन्द्र पर बारी–बारी से आयोजित की जायेगी। यह बैठक प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 1.00 बजे से 4.00 बजे तक आयोजित होगी। यदि निर्धारित दिन को शासकीय आवकाश हो तो आगामी कार्यदिवस को यह बैठक आयोजित होगी। बैठको का कार्यक्रम माह के प्रारंभ मं खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सेक्टर मेडीकल आफिसर तथा पर्यवेक्षक इन बैठकों मे शामिल होंगे। बैठको मे जननी सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा आगामी माह हेतु कार्यसूची तैयार की जायेगी। समीक्षा मे विगत माह की प्रगति पर निम्नानुसार चर्चा होगी :–

1. ऐसी गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी प्रसव पूर्व जॉच नही हो सकी।

2. ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमे प्रसव हेतु आशा / समतुल्य कार्यकर्ता हितग्राही के साथ नही गई।

3. चिन्हांकित हितग्राहियों मे से घर पर होने वाले प्रसवों की संख्या।

4. ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमे प्रसव पश्चात जॉच हेतु आशा / समतुल्य कार्यकर्ता हितग्राही के साथ नही गई।

5. प्रथम रेफरल इकाई को रेफर किये गये प्रकरणों की वर्तमान स्थिति।

6. ऐसे बच्चों की संख्या जिनका टीकारण नही किया जा सका।

23.2 मासिक कार्यसूची :– प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक मे आगामी माह हेतु प्रत्येक आशा के लिए निम्नानुसार कार्यसूची तैयार की जायेगी :–

1. ऐसी गर्भवती महिलाओं के नामो की सूची जिनका पंजीयन किया जाना है तथा जिन्हे प्रसव पूर्व जॉच हेतु ले जाना है।

2. ऐसी गर्भवती महिलाओं के नामो की सूची जिन्हे प्रसव हेतु चिन्हांकित स्वास्थ्य केन्द्र ले जाना है।

3. ऐसी गर्भवती महिलाओं के नामो की सूची जिन्हे जटिलताओं के कारण अथवा प्रसव हेतु चिन्हांकित स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने की आवश्यकता हो सकती है।

4. ऐसी महिलाओं के नामो की सूची जिन्हे प्रसव पश्चात जॉच हेतु चिन्हांकित स्वास्थ्य केन्द्र ले जाना है।

5. ऐसे शिशुओं के नामो की सूची जिन्हे नियमित टीकाकरण हेतु ले जाना है।

6. अग्रिम राशि की उपलब्धता।

7. समय पर परिवहन सुविधा की उपलब्धता (यदि जननी एक्सप्रैस योजना लागू हो चुकी है तो उसका टेलीफोन नं. आदि)

24. प्रतिवेदन प्रणाली :–

उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय मासिक बैठको मे गत माह की 26 तारीख से चालू माह की 25 तारीख तक की प्रगति के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कराने का दायित्व पर्यवेक्षक का होगा। पर्यवेक्षक इस प्रतिवेदन को माह की 28 तारीख तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी यह जानकारी संकलित कर विकासखण्ड की सम्पूर्ण जानकारी माह की 30 तारीख तक ई–मेल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबधंन इकाई को उपलब्ध करायेगे। मेडीकल कालेजों तथा भारत सरकार / उपक्रमों के चिन्हांकित चिकित्सालयों से प्रतिवेदन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा। जिले से यह जानकारी संचालनालय को आगामी माह की 07 तारीख तक उपलब्ध करायेगे। जिला स्तर से भेजे जाने वाले मासिक प्रपत्र मे आंशिक संशोधन किया गया है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि जानकारी वैध है तथा संशोधित प्रपत्र मे सही तरीके से भरी गई है। विकासखण्डवार समीक्षा का उत्तरदायित्व जिला स्तर के अधिकारियों का है। अतः विकासखण्ड की जानकारी संचालनालय को प्रेषित न की जाये।

25. वित्तीय व्यवस्था :–

1. प्रत्येक एएनएम को जननी सुरक्षा योजना की निधि से रू. 5,000/– का अग्रिम उपलब्ध कराया जायेगा। यह एएनएम के पास स्थायी अग्रिम (इम्प्रेस्ड मनी) के रूप में रहेगा।

2. उक्त राशि से एएनएम, आशा अथवा समतुल्य कार्यकर्ता को आवश्यकतानुसार अग्रिम भुगतान करेगी, जिसका उपयोग आशा द्वारा परिवहन व्यय तथा अन्य व्यय के लिए किया जायेगा। प्रसव के पश्चात् आशा अपने पैकेज की राशि प्राप्त होने पर एएनएम से लिया गया अग्रिम उसे वापस करेगी।

3. एएनएम को उक्त बैक खाते से एक बार मे रू. 2500/– की सीमा तक आहरित करने का अधिकार होगा। एएनएम अपने पास इस खाते का लेखा संधारित करेगी तथा इसकी जॉच हेतु अधिकारियों को प्रस्तुत करेगी। संबंधित चिकित्सा अधिकारी माह में एक बार लेखा सत्यापित करेगे।

4. प्रत्येक जिला अस्पताल/शासकीय महिला चिकित्सालय/शासकीय मेडिकल कॉलेज /सिविल अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वर्ष में होने वाले अनुमानित प्रसवों की संख्या के आधार पर जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जायेगी। यह राशि नोडल अधिकारी – जननी सुरक्षा योजना के नाम से संधारित एक पृथक बैंक खाते में जमा की जायेगी। भारत सरकार / उपक्रमो के चिन्हांकित चिकित्सालयों मे भी इस प्रकार का एक पृथक खाता संधारित किया जायेगा तथा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि समय पर हितग्राहियो को चैक द्वारा भुगतान किया जा सके।

5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों तथा प्रेरकों को उनसे प्राप्त वाउचर के आधार पर किया जाने वाला प्रत्येक भुगतान बेयरर चैक द्वारा ही किया जायेगा।

6. योजनान्तर्गत प्रशासकीय मद में रू 1000/– या अधिक का प्रत्येक भुगतान चैक द्वारा ही किया जायें।

7. वाउचर प्रणाली :– जननी सुरक्षा योजना के प्रत्येक हितग्राही तथा प्रेरक के लिए एक वाउचर प्रणाली लागू की जा रही है। यह वाउचर रेफरल स्लिप के साथ ही आशा / एएनएम / चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर कर हितग्राही को प्रदान किये जायेंगे। हितग्राही द्वारा प्रस्तुत वाउचर पर संस्थागत प्रसव का सत्यापन संस्था के प्रभारी अथवा उनके द्वारा नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जायेगा। सत्यापित वाउचर प्रस्तुत करने पर हितग्राही तथा प्रेरक अपना भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।

हितग्राही के लिए मात्र एक वाउचर (लाल रंग का) होगा जिसमे उसके निवास स्थान के अनुसार रू. 1400/– अथवा 1000/– को चिन्हित कर जारी करने वाली एएनएम / आशा / चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। प्रेरक के लिए तीन वाउचर होंगे। पहला वाउचर (पीले रंग का) रू. 250/– परिवहन व्यय के लिए, दूसरा वाउचर (हरे रंग का) रू. 150/– अन्य व्यय के लिए तथा तीसरा वाउचर (हरे रंग का) रू. 200/– प्रोत्साहन राशि के लिए होगा। यदि परिवहन की व्यवस्था प्रेरक के बजाय हितग्राही द्वारा की जाती है तो परिवहन का वाउचर भी हितग्राही को दिया जायेगा।

8. भुगतान की अवधि :– योजनान्तर्गत प्रसव की तिथि से 07 दिवस पूर्व या पश्चात किया गया कोई भी भुगतान वैध नही माना जायेगा।

9. बजट की उपलब्धता :– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक यह सुनिश्चित करे कि आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर पर अग्रिम राशि उपलब्ध हो। यह राशि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के फ्लेक्सी पूल मे उपलब्ध राशि से ही दी जायेगी। इस हेतु पृथक से जिलो को कोई आवंटन नही दिया जायेगा।

10. अंकेक्षण :– जिला स्तर पर प्रतिमाह कराये जाने वाले मासिक अंकेक्षण मे जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय का अंकेक्षण कराना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विशेष अंकेक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।

11. उपरोक्त वित्तीय व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12. योजनान्तर्गत वित्तीय अनुश्रवण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं करेंगे। जिला स्वास्थ्य मिशन की नियमित बैठको मे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले मे सभी संबंधित संस्थाओं / अधिकारियो तथा कर्मचारियो को यह दिशानिर्देश उपलब्ध करा दिये गये है तथा दिशानिर्देशो का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(डॉ. योगीराज शर्मा)
संचालक
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./जसुयो/07/16 भोपाल दिनांक 05.02.07

प्रतिलिपि :–

निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

---

1) प्रमुख सचिव, गृह विभाग (जेल) मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2) प्रमुख सचिव, श्रम मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3) समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4) संचालक, गैस राहत एव पुनर्वास,
संजय कॉम्पलेक्स, राज भवन के पास भोपाल म0प्र0।
5) संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, नंदा नगर इंदौर म0प्र0।
6) संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति, सतपुड़ा भवन भोपाल।
7) संचालक, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0।
8) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0।
9) अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर/रीवा म0प्र0।
10) अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय,
इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/भोपाल म0प्र0।
11) अधीक्षक, मेडिकल हास्पिटल म0प्र0 विद्युत मंडल,
रामनगर जबलपुर/सारणी जिला– बैतूल म0प्र0।
12) मुख्य महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड चिकित्सालय,
धनपुरी जिला–अनूपपुर म0प्र0।
13) मुख्य महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड चिकित्सालय,
परासिया जिला– छिंदवाड़ा म0प्र0।
14) मुख्य प्रबंधक, गन कैरेज फेक्ट्री चिकित्सालय, जबलपुर म0प्र0।
15) मुख्य प्रबंधक, आर्डिनेंस फेक्ट्री चिकित्सालय, खमरिया, जबलपुर/इटारसी म0प्र0।
16) मुख्य प्रबंधक, व्हीकल फेक्ट्री चिकित्सालय, जबलपुर म0प्र0।
17) मुख्य प्रबंधक, ग्रे आयरन फाउंड्री चिकित्सालय, जबलपुर म0प्र0।
18) मुख्य महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी चिकित्सालय,
बैढ़न जिला–सीधी/सारणी जिला–बैतूल म0प्र0।
19) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडल रेल चिकित्सालय, जबलपुर/भोपाल/रतलाम म0प्र0।
20) अधीक्षक, मिलिट्री अस्पताल,
सदर कैंट जबलपुर/मुरार ग्वालियर/बैरागढ़ भोपाल/महू जिला इंदौर म0प्र0।
21) अधीक्षक, कस्तूरबा चिकित्सालय, बी.एच.ई.एल. गोविंदपुरा भोपाल म0प्र0।

(डॉ. योगीराज शर्मा)
संचालक
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

जननी सुरक्षा योजना

हितग्राही हेतु प्रसव की सूक्ष्म कार्ययोजना

क्र.	गतिविधि	दायित्व	समय–सीमा
1.	हितग्राही की पहचान तथा ए.एन.सी. कार्ड बनाना	आशा / समतुल्य कार्यकर्ता(उप.स्वा. केन्द्र / प्रा.स्वा.केन्द्र में पंजीकृत)	गर्भावस्था के 12 से 16 सप्ताह में
2.	हितग्राही गर्भवती महिला का पंजीयन तथा ए.एन.सी. कार्ड भरना।	ए.एन.एम. तथा आशा / समतुल्य	पहचान होते ही तत्काल
3.	प्रसव पूर्व तीन जॉचों की तारीख हितग्राही को सूचित करना । आवश्यकता पडने पर रेफरल हेतु स्वास्थ्य केन्द्र की पहचान करना। प्रसव हेतु उपयुक्त स्थान का चयन तथा हितग्राही के परिजनों को इसकी सूचना देना । प्रसव की संभावित तिथी की सूचना हितग्राही को देना।	आशा /समतुल्य कार्यकर्ता (महिला के पति/ परिजनों से परामर्श कर) आशा सभी गर्भवती महिलाओं का अनुसरण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि वे प्रसव पूर्व जॉच हेतु उपस्थित होती है।	पंजीयन होते ही तत्काल
4.	हितग्राही को नगद लाभ तथा परिवहन सहायता की जानकारी देना।	आशा /समतुल्य कार्यकर्ता	पंजीयन होते ही तत्काल तत्पश्चात प्रत्येक भेट के समय
5.	बी.पी.एल. कार्ड, जाति का प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख एकत्र करना।	आशा / समतुल्य कार्यकर्ता	पंजीयन होने के तीन सप्ताह में ।
6.	प्रथम / द्वितीय प्रसव पूर्व जॉच । हितग्राही को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करना ।	ए.एन.एम. तथा आशा / समतुल्य कार्यकर्ता	निर्धारित समय पर।
7.	गर्भावस्था के दौरान सम्भावित जटिलताओं की पहचान तथा जटिलता की स्थिति में महिला को रेफर करना ।	ए.एन.एम. तथा आशा / समतुल्य कार्यकर्ता	प्रसव पूर्व जांच के समय तथा आवश्यकता पड़ने पर ।
8.	तृतीय प्रसव पूर्व जॉच । पूर्ण ए.एन. सी. कार्ड चिकित्सा अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना ।	ए.एन.एम.	निर्धारित समय पर (प्रसव की सम्भावित तिथि से तीन सप्ताह पूर्व यह

			गतिविधि हो जाना चाहिए ।)
9.	परिवहन की व्यवस्था करना तथा प्रसव हेतु हितग्राही को चयनित संस्था में पहुॅचाना । सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था करना ।	आशा / समतुल्य कार्यकर्ता	प्रसव की सम्भावित तिथि ।
10	ए.एन.एम. के पास आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	चिकित्सा अधिकारी	हर समय।
11	हितग्राही तथा प्रेरक को वाउचर अनुसार भुगतान सुनिश्चित करना।	चिकित्सा अधिकारी	निर्धारित समय पर।

जटिल प्रकरणों तथा सीजेरियन आपरेशन की आवश्यकता वाले प्रकरणों के लिए

1	रेफरल संस्था की पहचान तथा हितग्राही को उसकी सूचना देना	आशा / समतुल्य कार्यकर्ता
2	रेफरल अस्पताल से हितग्राही महिला को परिचित कराना	आशा / समतुल्य कार्यकर्ता
3	सामुदायिक नेताओं तथा परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	आशा / समतुल्य कार्यकर्ता
4	रेफरल अस्पताल मे विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

<u>tuuh lj{kk ;ktuk</u>
<u>jQjy&fLyi</u>

efgyk dk uke%&--

ifr dk uke%& --

ilo dh lHkkfor frfFk%&--

ch-ih-,y- ifjokj dh lnL; g \ gk@ugh

lyXu ch-ih-,y- iek.k dk fooj.k%&--

¼'kkldh; fpfdRlky;k e ilo gr --

vko';d ugh½ --

ilo io tkp dh frfFk%& 1- ------------------------ 2- ------------------------ 3- ------------------------

oreku e ;fn dkb tfVyrk@y{k.k g rk mldk fooj.k%&--

----

tkp@ilo gr ftl lLFkk dk Hktk tk jgk g mldk uke%&--

----

jQj dju okyh ,-,u-,e-@vk'kk@fpfdRld d gLrk{kj%&--

LFkku%&------------------------ uke%&--

fnukd%&------------------------ inuke%&--

tuuh lj{kk ;ktuk
ifjogu 0;; dk Hkxrku 0gkmpj

Jherh----------ifRu Jh ----------u vkt

fnukd----------dk thfor ckyd@ckfydk@er f'k'k dk tUe fn;kA

tuuh lj{kk ;ktuk d vUrxr ifjogu 0;; jkf'k :- 250@& ,dhdr pd dekd----------dy jkf'k----------fnukd----------}kjk----------dk inku dh xbA

gLrk{kj----------

lhy

mijkDr gr ifjogu dh 0;oLFkk ej }kjk dh xbA

mijkDr pd ikIr fd;kA

gLrk{kj@vxBk fu'kku----------

fnukd----------

LFkku----------

xokg d gLrk{kj&----------

xokq dk uke&----------

tuuh lj{kk ;ktuk
ijd dk vU; 0;; dk Hkxrku 0gkmpj

Jherh----------ifRu Jh ----------
u vkt fnukd----------dk thfor ckyd@ckfydk@er f'k'k dk tUe fn;kA ijd Jherh---------- dk tuuh lj{kk ;ktuk d vUrxr vU; 0;; dh jkf'k :- 150@& ,dhdr pd dekd----------dy jkf'k----------fnukd----------}kjk inku dh xbA

gLrk{kj----------

lhy

mijkDr pd ikIr fd;kA

ijd d gLrk{kj@vxBk fu'kku

fnukd----------
LFkku----------

xokg d gLrk{kj&----------
xokg dk uke &----------

tuuh lj{kk ;ktuk
ijd dh ikRlkgu jkf'k dk Hkxrku 0gkmpj

Jherh----------ifRu Jh ----------
----------u fnukd----------dk thfor ckyd@ckfydk@er f'k'k dk tUe fn;kA ijd Jherh----------
----------dk tuuh lj{kk ;ktuk d vUrxr ikRlkgu jkf'k :- 200@& pd dekd----------
fnukd----------}kjk inku dh xbA

gLrk{kj----------

lhy

mijkDr pd ikIr fd;kA

ijd d gLrk{kj@vxBk fu'kku

fnukd----------
LFkku----------

xokg d gLrk{kj&----------
xokg dk uke&----------

tuuh lj{kk ;ktuk
fgrxkgh efgyk dk Hkxrku 0gkmpj

iekf.kr fd;k tkrk g fd Jherh----------
ifRu Jh----------xke@okM----------ipk;r@uxj-
----------fty k---------- u vkt fnukd----------
-------dk thfor ckyd@ckfydk@er f'k'k dk tUe fn;kA mUg tuuh
lj{kk ;ktuk d vUrxr ikRlkgu jkf'k :----------dk pd
dekd----------fnukd----------}kjk inku dh xbA

gLrk{kj----------

lhy

mijkDr pd ikIr fd;kA

fgrxkgh efgyk d gLrk{kj@vxBk fu'kku
fnukd----------
LFkku----------

xokg d gLrk{kj&----------
xokg dk uke&----------